हरियाणा में नए आपराधिक कानून लागू होंगे

चर्चा में क्यों?

हरियाणा 28 फरवरी, 2025 तक **तीनों** [नए आपराधिक कानूनों](#) को पूरी तरह से लागू करने जा रहा है। [5G तकनीक](#) **को व्यापक रूप से अपनाना** बल गुणक के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि नए कानूनों में **अपराध स्थलों और वसूली प्रक्रियाओं की अनिवार्य वीडियोग्राफी के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य की आवश्यकता होती है।**

मुख्य बिंदु

- **समयसीमा और चुनौतियाँ:**
  - नये कानून में **अदालतों के लिये मुकदमे की कार्यवाही पूरी करने के लिये सख्त समयसीमा तय की गई है।**
  - अदालतों के सामने चुनौतियाँ हैं क्योंकि उन्हें **पुराने कानूनों के तहत लंबित मामलों और नए मामलों, दोनों को** समयबद्ध तरीके से निपटाना होता है।
  - अब न्यायालयों को **आरोप-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार करने होंगे,** जिससे अपवाद के लिये कोई जगह नहीं बचेगी।
- **पुलिस नियमों में संशोधन:**
  - नये कानूनी ढाँचे के अनुरूप बनाने के लिये मौजूदा [पुलिस नियमों](#) **में संशोधन की आवश्यकता है।**
  - **उदाहरण के लिये,** इलेक्ट्रॉनिक समन वितरण की शुरुआत, जिसका पहले नियमों में उल्लेख नहीं था।
- **ई-समन ऐप:**
  - ई-समन ऐप, **सम्मन की भौतिक डिलीवरी की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।**
  - सम्मन **इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किये जाते हैं,** मोबाइल डिवाइस या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाते हैं तथा स्क्रीनशॉट सिस्टम पर अपलोड किये जाते हैं।
  - **पुलिस व्यवस्था में तकनीकी उन्नयन:**
- **उपकरण:**
  - पुलिस के लिये **टैबलेट और मोबाइल हैंडसेट खरीदे जा रहे हैं।**
  - हरियाणा के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अपराध एवं **अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS)** से जुड़े छह कंप्यूटर हैं।
- **ई-साक्ष्य ऐप:**
  - इसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अपलोड करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जिसके लिये व्यापक बैकएंड स्टोरेज की आवश्यकता होती है, जिसका प्रबंधन [राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)](#) द्वारा किया जाता है।
- **विधायी परिवर्तन:**
  - [भारतीय न्याय संहिता (BNS)](#), [भारतीय साक्ष्य संहिता (BNS)](#) और [भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)](#) ने क्रमशः [भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता](#) **का** स्थान लिया।
  - 1 जुलाई 2024 से प्रभावी इन कानूनों का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे और फोरेंसिक क्षमताओं को दृढ़ करना है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)

- यह भारत सरकार का एक प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है, **जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी,** जिसका उद्देश्य सरकारी क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं, एकीकृत सेवाओं और वैश्विक समाधानों को अपनाते हुए **ई-सरकार/ई-गवर्नेंस समाधान प्रदान करना है।**
  - **अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम**
- **पृष्ठभूमि:**
  - **अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) एक योजनागत योजना है, जिसे गैर-योजनागत योजना- कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन (CIPA)** के अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है।
- **शुरू करना:**
  - CCTNS **गृह मंत्रालय** की [राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP)](#) के अंतर्गत एक **मिशन मोड परियोजना** है।
  - देश भर में लगभग 14,000 पुलिस स्टेशनों के अलावा पुलिस पदानुक्रम में 6000 उच्च कार्यालयों को स्वचालित करने का प्रस्ताव किया गया है।
  - इसे **वर्ष 2009 में मंज़ूरी दी गई थी।**
- **उद्देश्य:**

- पुलिस थानों के कामकाज को स्वचालित करके पुलिस की कार्यप्रणाली को **नागरिक अनुकूल** और **अधिक पारदर्शी बनाना।**
- **ICT** के प्रभावी उपयोग के माध्यम से **नागरिक-केंद्रित सेवाओं** की डिलीवरी में सुधार करना।
- अपराध की जाँच और अपराधियों का पता लगाने में सुविधा के लिये सिविल पुलिस के जाँच अधिकारियों को **उपकरण, प्रौद्योगिकी और सूचना उपलब्ध कराना।**

https://youtu.be/cPC-ea9ZJWM

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-to-implement-new-criminal-laws